पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 11, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–27

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	589–590	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	641–654	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	03–16	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड !	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	171–211	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सहकारिता अनुभाग

कार्यालय आदेश

22 जून, 2022 ई0

संख्या 252/XIV-1/21-3(13)/2021–सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उप निबन्धक के पद पर कार्यरत श्री नीरज कुमार बेलवाल व श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी को विभागीय चयन समिति की संस्तुतिपरांत पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड (वेतनमान रु0 78800–209200 Level–12) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए 02 वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्तानुसार संयुक्त निबन्धक, वेतनमान रू0 78800–209200, Level–12 सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के पद पर पदोन्नत श्री नीरज कुमार बेलवाल व श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी को निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड (देहरादून) के कार्यालय में तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

20 जून, 2022 ई0

संख्या 447/XXXI(1)/2022/पी0एफ0–02/2022–श्रीमती पूनम जोशी, अनुभाग अधिकारी का विवाह श्री राजेन्द्र बेहेरा से होने के फलस्वरूप श्रीमती पूनम जोशी द्वारा कार्यालय अभिलेखों में नाम परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 25.04.2022 के क्रम में श्रीमती पूनम जोशी का नाम परिवर्तित करते हुये 'श्रीमती पूनम जोशी बेहेरा' किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/463–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक तथा प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 11, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE (C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN

NOTIFICATION NO 01 (M)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

May 23, 2022

Letter No. 15 P/Store/24/2019/11506--In exercise of the power delegated in G.O. No 712/XXVIII-3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the Supply in the State Government in Medical & Health Services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of *Annexure B* for name of makes unless otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.

2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.

3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

4. Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

5. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be 3/5th (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit.

6. Packing of medicines/drugs/vaccines

6.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.

6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

7. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

8. Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches.

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

8.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

9. **Payments**

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s).

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

10. Delays in Supplier's performance

10.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

11. Liquidated damages

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

12. Force majeure

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

(B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

(C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.

14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.

15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.

16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.

17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.

18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.

19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.

20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawn to it.

21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.

22. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.

23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of GoI and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply

   a. Exports by the Contractor.
   b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.

24. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.

25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.

26. Director General Medical Health &F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.

27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.

28. In the event of the prices being gone dawn the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.

29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)

30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.

31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

NOTIFICATION No. 01 [M]

Enclosure of Notification no. 15P/Store/24/2019/ 11506 Dated 23 May, 2022

ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, Atlanta Arcade Church Road, Near Leela Hotel Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400059.	Tel: 022-66762800, 0120-4695675, 9412206937 e-mail: customercare@macleodspharma.com
2	M/s CMG Biotech Pvt. Ltd., Plot no. 28/1/17, Industrial Area,Site-IV, Sahibabad, Ghaziabad, UP- 110092	Tel: 011-43081191, 0120-4695675, 9412206937 e-mail: info@cmgbiotech.in customer care: 91-8800910911
3	M/s Psychotropics India Limited , Plot no. 17, Sector 20-A, Faridabad-121001,	tendersfbd@pilindia.in [e-mail: marketing@pilindia.in]
4	M/s Goldwin Medicare ltd., 2, Doctor House, 2nd Floor, 124, Perin Nariman Street, Fort, Mumbai- 400 001	Tel: 0091-22-24459116/17/18 e-mail: alves@alvesgroup.com
5	M/s SJD Surgicot Pvt. Ltd., Village Gobindpura Bhiwani Road, Jind- 126102, Haryana	Tel: 93555-57087, 92533-90534, 9899965158, 9899935158 e-mail: sjdsurgicot@gmail.com
6	M/s Kishan Chand & Sons, B-16/6, Ist floor, Jhilmil Industrial Area, Delhi- 110095	Tel: 011-49121937, 9810003478, 9310003478 e-mail: kcsdressings@yahoo.co.in, kcsdressings@rediffmail.com
7	M/s Lars Medicare Private Limited, 136, 2nd Floor, Avtar Enclve, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi- 110063	Tel: 91-8930111190, 8930111006 e-mail: mkt@larsmedicare.com, plant@larsmedicare.com
8	M/s Hi-Care Gloves Pvt. Ltd., Marangattupilly, Kottayam- 686 635 Kerala	Tel: 04822-252558, 250522 e-mail: hicaregloves@gmail.com
9	M/s Poly Medicure Limited, 232-B, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi 110020	Tel: 91-129-3355070,4287000 e-mail: info@polymedicure.com
10	M/s MAIS India Medical Devices Pvt. Ltd., Plot no 1221, Sector- 46, Gurugram-122003, Haryana, India	Tel: 91-124-4047533, e-mail: info@maisindia.com
11	M/s Disposafe Health and Life Care Limited, O-63, Ground Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024.	Tel: 91-11-29841111, 91-11-46540320, 9311504254 e-mail: oex1@disposafe.com

12	M/s Healthium Medtech Limited, 472/D, 13th Cross, 4th Phase, Peenya Industrial Area, Bengaluru-560 058.	Tel: 8861451562, 9412206937 e-mail: tenders@healthiummedtech.com
13	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Regd office: Q-21, Model Town, Delhi- 110 009	Tel: 91-11-48880000, 42466196, 91-011-42466196 e-mail: sterimed.corporate@gmail.com
14	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd, 501, Ring Road Mall, Manglam Place, Sector-3, Rohini, New Delhi- 110 085.	Tel: 91-011-42466196, 42466396, 48880000 e-mail: info@sterimedgroup.com
15	M/s Peters Surgical India Pvt. Ltd., Unit no. 508, 510 & 511, Fifth Floor, Emaar Digital Green Tower A, Sector 61, Golf Course Extension Road, Gurgaon-122102	Tel: 0124-4150450, 4609500 e-mail: customercare@peters-surgical.com
16	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Unit no. 404, Prathamesh Tower B, Raghuvanshi Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013	Tel: 91-22-24913542, 91-22-66572555 e-mail: info@lotus-surgicals.com
17	M/s Advanced Medtech Solutions Private Limited Plot no. 21,22,25,26,34,35, Bio-tech Park-2, Non SEZ GIDC, Manjusar, Savli, Vadodara, Gujarat- 391775	Tel: 011-26812108,26371127,9818237529 e-mail: customerservice@alspl.com
18	M/s Meril Endo Surgery Pvt. Ltd., 601 Midas Sahar Plaza Complex, MV Road JB Nagar Andheri East, Mumbai-400059	Tel: 9412206937 e-mail: yashwant.chauhan@marillife.com, shivalikdrug@gmail.com
19	M/s Veekay Surgicals Pvt. ltd.,607, Indraprakash Building,21, Barakh Amba Road, New Delhi.-110001	Tel: 91-11-41519688, 9910699045 e-mail: purchase_vspl@veekayswiftmet.com
20	M/s Romsons Group Pvt Ltd, B-248, Naraina Industrial Area,Phase-1, New Delhi.	Tel: 91-5626620000 e-mail: info@romsons.com
21	M/s Kanam Latex Industries Pvt. Ltd Oppoottil building, 3-Floor, KK Road, Kottayam-1, Kerala.	Tel :91-481-2300343, 2300342 e-mail: ho@kanamlatex.com

NOTIFICATION No. 01 [M]

ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification no. 15P/Store/24/2019/ 11506 Dated 23, May, 2022

List of medicines/drugs/surgical items/sutures items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM ..... MAY 2022 to ..... MAY 2024

SN	Name of medicine	Pack form	Unit cost per tab or per bottle or per item without GST [in INR]	GST [in INR]	Unit cost per tab or per bottle or per item with GST [in INR]	Name of approved firm	Consignee/State DrugWare House
1	2	3	4	5	6	7	8
	[A] Medicines						
1	Tab. Isoniazid 100 mg	Strip (blister pack) of 10 tablets	0.54	0.03	0.57	M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, Mumbai	F.O.R
2	Ethambutol Hydrochloride Tabs of 800 mg each	Strip (blister pack) of 10 tablets	3.39	0.17	3.56	M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, Mumbai	F.O.R
3	Rifampicin Capsule of 450 mg each	Strip (blister pack) of 10 tablets	3.73	0.45	4.18	M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, Mumbai	F.O.R
4	Cycloserine Capsule of 250 mg each	Strip of 10 capsules	21.77	2.61	24.38	M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, Mumbai	F.O.R
5	Tab Escitalopram 10 mg,	10 tab	0.74	0.09	0.83	M/s CMG Biotech Pvt. Ltd., Ghaziabad, UP- 110092	F.O.R
6	Tab Fluoxetine 20 mg	10 tab	0.42	0.05	0.47	M/s CMG Biotech Pvt. Ltd., Ghaziabad, UP- 110092	F.O.R
7	Tab Clonazapam 0.5 mg,	10 tab	0.37	0.04	0.41	M/s CMG Biotech Pvt. Ltd., Ghaziabad, UP- 110092	F.O.R
8	Tab Sertraline 50 mg	10 tab	0.66	0.08	0.74	M/s CMG Biotech Pvt. Ltd., Ghaziabad, UP- 110092	F.O.R
9	Tab Trihexyphenidyl Hydrochloride 2 mg	10 tab	0.49	0.06	0.55	M/s Psychotropics India Limited Faridabad-121001	F.O.R
10	Tab Sodium Valporate 500 mg	10 tab	1.77	0.22	1.99	M/s Psychotropics India Limited Faridabad-121001	F.O.R
11	Tab Lorazepam 2 mg	10 tab	0.66	0.08	0.74	M/s Psychotropics India Limited Faridabad-121001	F.O.R
12	Tab Sodium Valproate 200	10x10 tab	0.89	0.1	0.99	M/s Psychotropics India Limited Faridabad-121001	F.O.R
[illegible]	[illegible]	[illegible] tab	0.53	[illegible]	0.59	M/s Psychotropics India [illegible]	F.O.R

	[B] Surgical items/Sutures						
1	Absorbable Gelatin Sponge IP 66 80mmx50mmx10mm	1 no	72.8	8.74	81.54	M/s Goldwin Medicare ltd., Mumbai	F.O.R
2	Surgical Blade Sterile, Size 11	1x100	162.4	19.49	181.89	M/s Goldwin Medicare ltd., Mumbai	F.O.R
3	Surgical Blade Sterile, Size 15	1x100	162.4	19.49	181.89	M/s Goldwin Medicare ltd., Mumbai	F.O.R
4	Surgical Blade Sterile, Size 20	1x100	162.4	19.49	181.89	M/s Goldwin Medicare ltd., Mumbai	F.O.R
5	Surgical Blade Sterile, Size 22	1x100	162.4	19.49	181.89	M/s Goldwin Medicare ltd., Mumbai	F.O.R
6	Absorbent Cotton Wool IP 500 gm	1 no.	92.21	11.04	103.25	M/s SJD Surgicot Pvt. Ltd., Jind, Haryana	F.O.R
7	Bandage 10 cm,TPI-30	1x12	39.96	4.79	44.75	M/s Kishan Chand & Sons, Delhi	F.O.R
8	Bandage 15 cm, TPI-30	1x12	59.94	7.19	67.13	M/s Kishan Chand & Sons, Delhi	F.O.R
9	Gauze Than TPI-27(300gm),18x18,99cm, 20m	1 no.	99	11.88	110.88	M/s Kishan Chand & Sons, Delhi	F.O.R
10	Surgical Cap, Disposable for Nurses	1 no.	0.72	0.04	0.76	M/s Kishan Chand & Sons, Delhi	F.O.R
11	Umbilical cord clamp	per	1.7	0.31	2.01	M/s Kishan Chand & Sons, Delhi	F.O.R
12	Blood Administration Set / Blood Transfusion Set	1 no.	13.27	1.59	14.86	M/s Lars Medicare Private Limited,New Delhi	F.O.R
13	Sterile Disposable Perfusion Set with Airway and Needle (Adult Use)	per	8.06	0.97	9.03	M/s Lars Medicare Private Limited,New Delhi	F.O.R
14	Sterile Disposable Spinal Needle for Single Use.22G	per	27.38	3.29	30.67	M/s Lars Medicare Private Limited,New Delhi	F.O.R
15	Sterile Disposable Spinal Needle for Single Use.23G	per	27.38	3.29	30.67	M/s Lars Medicare Private Limited, New Delhi	F.O.R
16	Sterile Disposable Spinal Needle for Single Use., 25G	per	27.38	3.29	30.67	M/s Lars Medicare Private Limited,New Delhi	F.O.R
17	Sterile Disposable Spinal Needle for Single Use., 26G	per	27.38	3.29	30.67	M/s Lars Medicare Private Limited,New Delhi	F.O.R
18	Disposable Sterile Surgical Gloves size 6	per	11.39	1.37	12.76	M/s Hi-Care Gloves Pvt. Ltd.,Kerala	F.O.R
19	Disposable Sterile Surgical Gloves size 6.5	per	11.39	1.37	12.76	M/s Hi-Care Gloves Pvt. Ltd., Kerala	F.O.R
20	Disposable Sterile Surgical Gloves size 7	per	11.39	1.37	12.76	M/s Hi-Care Gloves Pvt. Ltd.,Kerala	F.O.R
21	Disposable Sterile Surgical Gloves size 7.5	per	11.39	1.37	12.76	M/s Hi-Care Gloves Pvt. Ltd.,Kerala	F.O.R
22	Insulin syringe (Graduation upto 100 units) with (fixed) 30 G needle	per	2.86	0.34	3.2	M/s Poly Medicure Limited, New Delhi 110020	F.O.R
23	Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock. Sizes 16	per	9.72	1.17	10.89	M/s Poly Medicure Limited, New Delhi 110020	F.O.R
24	Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock. Sizes 24	per	8.96	1.08	10.04	M/s Poly Medicure Limited, New Delhi 110020	F.O.R

25	Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock.. Sizes 18	per	7.89	0.95	8.84	M/s MAIS India Medical Devices Pvt. Ltd.,Gurugram-122001	F.O.R
26	Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock. Sizes 20	per	7.89	0.95	8.84	M/s MAIS India Medical Devices Pvt. Ltd.,Gurugram-122001	F.O.R
27	Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock. Sizes 22	per	7.89	0.95	8.84	M/s MAIS India Medical Devices Pvt. Ltd.,Gurugram-122001	F.O.R
28	Sterile Disposable (Single Use) PTFE I.V.Cannula with integrated 3 Way stop cock. Sizes 26	per	6.9	0.83	7.73	M/s MAIS India Medical Devices Pvt. Ltd.,Gurugram-122001	F.O.R
29	Ryle's Tube / Nasogastric Tube (P.V.C.) with radio opaque lining. Sizes 14 FR	per	7.7	0.92	8.62	M/s Disposafe Health and Life Care Limited,New Delhi	F.O.R
30	Ryle's Tube / Nasogastric Tube (P.V.C.) with radio opaque lining. Sizes 16 FR	per	7.7	0.92	8.62	M/s Disposafe Health and Life Care Limited,New Delhi	F.O.R
31	Ryle's Tube / Nasogastric Tube (P.V.C.) with radio opaque lining. Sizes 18 FR	per	7.7	0.92	8.62	M/s Disposafe Health and Life Care Limited,New Delhi	F.O.R
32	Polypropylene Nonabsorbable Synthetic Surgical Mesh 7.5 cm X 15 cm	per	140	16.8	156.8	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru.	F.O.R
33	Polypropylene Nonabsorbable Synthetic Surgical Mesh 15 cm X 15 cm	per	280	33.6	313.6	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru.	F.O.R
34	Paper Adhesive Plaster 4" x 9.00 mts (with cutter)	per	39.93	4.8	44.73	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
35	Paper Adhesive Plaster 6" x 9.00 mts (with cutter)	per	59.89	7.18	67.07	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
36	Endotracheal Tube, Plain with radio-opaque line, Sterile, Single Use - sizes 2.5 FR	per	17.17	2.06	19.23	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
37	Endotracheal Tube, Plain with radio-opaque line, Sterile, Single Use - sizes 3 FR	per	17.17	2.06	19.23	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
38	Endotracheal Tube, Plain with radio-opaque line, Sterile, Single Use - sizes 4 FR	per	17.17	2.06	19.23	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
39	Endotracheal Tube, Plain with radio-opaque line, Sterile, Single Use - sizes 4.5 FR	per	17.17	2.06	19.23	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
40	Endotracheal Tube, Cuff, with radio-opaque line, sterile, single use- sizes 3 FR	per	37.36	4.48	41.84	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
41	Endotracheal Tube, Cuff, with radio-opaque line, sterile, single use- sizes 6 FR	per	32.86	3.94	36.8	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
42	Endotracheal Tube, Cuff, with radio-opaque line, sterile, single use- sizes 6.5 FR	per	32.6	3.92	36.52	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
43	Endotracheal Tube, Cuff, with radio-opaque line, sterile,	per	32.38	3.88	36.26	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R

44	Endotracheal Tube, Cuff, with radio-opaque line, sterile, single use- sizes 7.5 FR	per	32.66	3.92	36.58	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
45	Endotracheal Tube, Cuff, with radio-opaque line, sterile, single use- sizes 8 FR	per	32.66	3.92	36.58	M/s Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd., Delhi	F.O.R
46	Suction Catheter, Sterile. Sizes 6	per	5.15	0.62	5.77	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
47	Suction Catheter. Sterile. Sizes 8	per	5.15	0.62	5.77	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
48	Suction Catheter. Sterile. Sizes 10	per	5.15	0.62	5.77	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
49	Suction Catheter, Sterile. Sizes 12	per	5.15	0.62	5.77	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
50	Suction Catheter, Sterile. Sizes 14	per	5.15	0.62	5.77	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
51	Suction Catheter, Sterile. Sizes 16	per	5.15	0.62	5.77	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
52	Sterile Catheter, Single Use, for Urinary Drainage (Foley Balloon Catheter), 2 Way, Silicon coated natural Latex material, sizes 12	per	17.74	2.12	19.86	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
53	Sterile Catheter, Single Use, for Urinary Drainage (Foley Balloon Catheter), 2 Way, Silicon coated natural Latex material, sizes 14	per	17.74	2.12	19.86	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
54	Sterile Catheter, Single Use, for Urinary Drainage (Foley Balloon Catheter), 2 Way, Silicon coated natural Latex material, sizes 16	per	17.74	2.12	19.86	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
55	Sterile Catheter, Single Use, for Urinary Drainage (Foley Balloon Catheter), 2 Way, Silicon coated natural Latex material, sizes 18	per	17.74	2.12	19.86	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
56	Sterile Catheter, Single Use, for Urinary Drainage (Foley Balloon Catheter), 3 Way, Silicon coated natural Latex material, sizes 16	per	38.93	4.68	43.61	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
57	Sterile Catheter, Single Use, for Urinary Drainage (Foley Balloon Catheter), 3 Way, Silicon coated natural Latex material, sizes 18	per	38.93	4.68	43.61	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
58	Infant Feeding Tube Size: sizes 5	per	4.11	0.5	4.61	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
59	Infant Feeding Tube Size: sizes 8	per	4.09	0.5	4.59	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R

60	Abdominal Drain Kit, Sterile, Having drainage catheter and Collection Bag (2000 ml) Size 28 FR	per	61.83	7.42	69.25	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
61	Urine Collecting Bag for new born /Paediatric Urine Collection Bag, capacity 100ml	per	6.26	0.32	6.58	M/s Sterimed Medical Devices Pvt. Ltd., New Delhi.	F.O.R
62	Chromic (3/8 Cir RB Needle 40mm, Suture Length 76 cm)	per	27.65	3.32	30.97	M/s Peters Surgical India Pvt. Ltd., Gurgaon	F.O.R
63	Chromic (1/2 Cir RB Needle 20mm, Length 76 cm)	per	25.15	3.02	28.17	M/s Peters Surgical India Pvt. Ltd., Gurgaon	F.O.R
64	Chromic (1/2 Cir RB Needle 30mm, Length 76 cm)	per	27.65	3.32	30.97	M/s Peters Surgical India Pvt. Ltd., Gurgaon	F.O.R
65	Chromic (1/2 Cir RB Needle 30mm, Length 76 cm)	per	27.65	3.32	30.97	M/s Peters Surgical India Pvt. Ltd., Gurgaon	F.O.R
66	Chromic (1/2 Cir RB Needle 45 mm, Length 100 cm)	per	32	3.84	35.84	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru	F.O.R
67	Vicryl numbr 02	per	32	3.84	35.84	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru	F.O.R
68	Mersilk no. 1-0 on cutting needle	per	24.89	2.98	27.87	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru	F.O.R
69	Polypropylene (1/2 Cir RB Needle 30mm, Length 90 cm)	per	21.33	2.56	23.89	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru	F.O.R
70	Polypropylene (1/2 Cir Tapercut, Needle 26 mm, Length 90 cm)	per	37.33	4.48	41.81	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru	F.O.R
71	Vicryl number 01(RB) suture	per	32	3.84	35.84	M/s Healthium Medtech Limited, Bengaluru	F.O.R
72	B.B Silk (1/2 Cir RB Needle 20mm Length 76cm)	per	14.58	1.76	16.34	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
73	B.B Silk (3/8Cir RCut Needle 26mm Length 76 cm)	per	12.92	1.56	14.48	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
74	B.B Silk (3/8Cir RCut Needle 45mm Length 76 cm)	per	12.92	1.56	14.48	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
75	Polyamide (3/8 R Cutting Needle 45mm, Length 70 cm.)	per	12.92	1.56	14.48	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
76	Polyamide (3/8 Cutting Edge Needle, Double arms Needle 6 mm, Suture length 35-42 cm	per	100	12	112	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
77	Vicyl number 01(cutting) suture , round body	per	54.17	6.5	60.67	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
78	Vicryl number 8-0	per	62.5	7.5	70	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
79	Vicryl number 6-0	per	54.17	6.5	60.67	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
80	Nylon Suture 2-0	per	12.92	1.56	14.48	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
81	Nylon Suture 3-0	per	12.92	1.56	14.48	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R

82	Nylon Suture 4-0	per	14.58	1.76	16.34	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
83	Mersilk no. 2-0, on cutting needle	per	14.58	1.76	16.34	M/s Lotus Surgicals Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
84	Vicyl number 01(cutting) suture	per	50.08	6.01	56.09	M/s Advanced Medtech Solutions Private Limited,Vadodara, Gujarat-	F.O.R
85	Proline 02	per	37.5	4.5	42	M/s Meril Endo Surgery Pvt. Ltd., Mumbai	F.O.R
86	Sterile Disposable syringe with needle 2 ml with 0.5 ml marking	per	1.28	0.1536	1.4336	M/s Veekay Surgicals Pvt. ltd., New Delhi.	F.O.R
87	Sterile Disposable syringe with needle 3 ml with 0.5 ml marking	per	1.3	0.156	1.456	M/s Veekay Surgicals Pvt. ltd.,, New Delhi	F.O.R
88	Sterile Disposable syringe with needle 5 ml with 0.5 ml marking	per	1.52	0.1824	1.7024	M/s Veekay Surgicals Pvt. ltd., New Delhi.	F.O.R
89	Sterile Disposable Syringe with Needle 1 ml with 0.5 ml marking	per	2.7	0.324	3.024	M/s Romsons Group Pvt Ltd, New Delhi	F.O.R
90	Latex examination gloves made of natural rubber latex. Non-sterile, Ambidextous, AQL 1.5 Micro Textured Powdered with absorbable dusting powder USP. Medium	Dispenser box of 100 Gloves	225	27	252	M/s Kanam Latex Industries Pvt. Ltd, Kerala	F.O.R

SHAILJA BHATT,

Director General.

[illegible] गजट/483–मान 1–7–2022 (कम्प्यूटर/पीजियो)।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 11, 1944 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0) नैनीताल

नगर पालिका परिषद, रामनगर व नगर पंचायत, कालाढूंगी के रिक्त सदस्यों के पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन

सूचना

20 मई, 2022 ई0

संख्या 43/पंचास्थानि/नागर निकाय/उप निर्वाचन–2022–राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–174/रा0नि0आ0–3/2634/2019 दिनांक 19 मई, 2022 के अनुपालन में मैं, धीराज सिंह गर्ब्याल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0) नैनीताल अनुसूची–1 में उल्लिखित जनपद नैनीताल के नगर पालिका परिषद, रामनगर व नगर पंचायत, कालाढूंगी के रिक्त सदस्यों के पदों, जो न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर कोविड–19 संबंधी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई गाईड लाईन्स का अनुपालन कराते हुए उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार मतपत्रों (गूढशलाका) द्वारा सम्पादित कराने हेतु सूचित करता हूँ।

2– इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की तिथि व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान का दिनॉक व समय	मतगणना का दिनॉक व समय
1	2	3	4	5	6
26 मई, 2022 से 27 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	28 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	29 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक)	29 मई, 2022 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 जून, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक)	14 जून, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3— नगर पालिका परिषद, रामनगर व नगर पंचायत, कालाढूंगी के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन हेतु आरक्षण निम्नानुसार है।

अनुसूची—1

क्र0सं0	निकाय का नाम	रिक्त पद का नाम	वार्ड संख्या/नाम	आरक्षण की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	नगर पालिका परिषद, रामनगर	सदस्य	16/गूलरघट्टी पूर्वी	महिला
2	नगर पंचायत, कालाढूंगी	सदस्य	04/अस्पताल वार्ड	पिछड़ी जाति (महिला)

4— नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर)/ सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) द्वारा अनुसूची—2 के अनुसार की जायेगी।

अनुसूची—2

क्र0 सं0	निकाय का नाम	नामांकन पत्रों की बिक्री, प्राप्ति, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार किये जाने का स्थान	मतदान पार्टियों का प्रस्थान, स्ट्रांग रूम एवं मतगणना का स्थान
1	2	3	4
1	नगर पालिका परिषद, रामनगर	कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर	कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर
2	नगर पंचायत, कालाढूंगी	तहसील कार्यालय, कालाढूंगी	तहसील कार्यालय, कालाढूंगी

5— नगर पालिका परिषद, रामनगर व नगर पंचायत, कालाढूंगी के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर)/ सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने निकाय से सम्बन्धित क्षेत्र में व्यापक प्रचार—प्रसार करायेंगे तथा उससे संबंधित कार्यालयों तथा निकाय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

6— उक्त समय—सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

धीराज सिंह गर्ब्याल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नैनीताल

ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन

सूचना

09 जून, 2022 ई0

संख्या 87/पंचास्थानि/त्रि0पं0उप निर्वा0 (जून)/2022–राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–286/रा0नि0आ0 अनु–2/3041/2021 दिनॉक 08 जून, 2022 के अनुपालन में मैं, धीराज सिंह गर्ब्याल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नैनीताल संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित जनपद नैनीताल के विभिन्न विकास खण्डो में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पद/स्थान पर अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर निम्नॉकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पादित कराने हेतु सूचित करता हूँ।

नाम निर्देशन पत्र को जमा करने का दिनॉक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जॉच का दिनॉक व समय	नाम वापसी हेतु दिनॉक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनॉक व समय	मतदान का दिनॉक व समय	मतगणना का दिनॉक व समय
1	2	3	4	5	6
13.06.2022 एवं 14.06.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	15.06.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18.05.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	17.06.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27.06.2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	29.06.2022 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2– जिला नैनीताल के रिक्त विभिन्न विकास खण्डो में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों के संबंध में नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन एवं तत्सम्बन्धी सभी कार्यवाही निम्नलिखित स्थानों पर की जायेगी।

क्र0 सं0	विकास खण्डों का विवरण	पद का नाम	नामांकन पत्रों की बिक्री,प्राप्ति, जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन स्थल	मतगणना का स्थान
01	ओखलकाण्डा	सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, ओखलकाण्डा	विकास खण्ड सभागार, ओखलकाण्डा
02	धारी	सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, धारी	विकास खण्ड सभागार, धारी
03	हल्द्वानी	सदस्य ग्राम पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, हल्द्वानी	विकास खण्ड सभागार, हल्द्वानी
04	रामगढ़	सदस्य ग्राम पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, रामगढ़	विकास खण्ड सभागार, रामगढ़
05	रामनगर	सदस्य ग्राम पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, रामनगर	विकास खण्ड सभागार, रामनगर
06	कोटाबाग	सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, कोटाबाग	विकास खण्ड सभागार, कोटाबाग
07	बेतालघाट	सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, बेतालघाट	विकास खण्ड सभागार, बेतालघाट
08	भीमताल	सदस्य ग्राम पंचायत	विकास खण्ड कार्यालय परिसर, भीमताल	विकास खण्ड सभागार, भीमताल
09	जिला पंचायत, नैनीताल	सदस्य जिला पंचायत	जिला पंचायत, मुख्यालय, नैनीताल	सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय

3– सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सम्बन्धित गॉवों में मुनादी द्वारा सर्व साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सम्बन्धित तहसील कार्यालय के सूचना पटो में यह कार्यक्रम चस्पा किया जायेगा।

ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 (एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441 (एम0एस0)/2020 मो0यूनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

5– जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

6– वैश्विक महामारी कोविड–19 के दृष्टिगत उप निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

धीराज सिंह गर्ब्याल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
नैनीताल।

अन्तिम प्रकाशन

प्रारूप–1
–: सूचना :–

सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 11.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 13.08.2019 के प्रस्तर–19 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे पदों, जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नही हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त प्रधान पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	बेतालघाट	सीम	अनु0जातियाँ	अनारक्षित
2	बेतालघाट	रोपा	अनु0जा0महिला	अन्य महिला
3	ओखलकाण्डा	जोस्यूड़ा	अनु0जा0महिला	अनु0जा0महिला

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)
जिला विकास अधिकारी

ह0 (अस्पष्ट)
उप निदेशक

कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल

आदेश

03 अगस्त, 2021 ई0

पत्रांक 332/7–पं0/ग्रा0स0/प्रधान/2021–22–खण्ड विकास अधिकारी कोटाबाग के पत्र संख्या 712 दिनॉक 03 अगस्त 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अमतोली विकास खण्ड कोटाबाग श्री जगदीश चन्द्र सती का दिनॉक 13 जुलाई 2021 को आकस्मिक निधन हो गया है। इस क्रम में, मैं अतुल प्रताप सिंह जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल ग्राम पंचायत अमतोली के उपप्रधान को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 17 (प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति की दशा में प्रबन्ध) के प्राविधानों के अनुरूप ग्राम प्रधान अमतोली विकास खण्ड कोटाबाग के उपनिर्वाचन अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रधान पद की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत करता हूँ।

अतुल प्रताप सिंह,
जिला पंचायतराज अधिकारी,
नैनीताल।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2019

क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों का विवरण वि0ख0– धारी

क्रम संख्या	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत	आरक्षण का वर्ग	रिक्त	रिक्त का कारण	आय विवरण
	वार्ड सं0 6	सुन्दरखाल	अनु0जा0म0	रिक्त	नामांकन न होना एवं अनु0जा0वार्ड का ग्रा0नि0क्षे0का न होना	

ह0 (अस्पष्ट),
निर्वाचन अधिकारी धारी
विकासखण्ड–धारी।

अन्तिम प्रकाशन

प्रारूप-2

—: सूचना :—

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 11.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 13.08.2019 के प्रस्तर–19 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे पदों जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नही हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	हल्द्वानी	बैडापोखरा	3	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
2		खडकपुर	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
3			5	अन्य महिला	अन्य महिला
4		धूनी न0 1	8	अनारक्षित	अनारक्षित
5		चौदनीचौक धुड़दौडा	3	पिछडा वर्ग महिला	पिछडा वर्ग महिला
6		जगीबगर	2	पिछडा वर्ग महिला	पिछडा वर्ग महिला
7		जयपुर पाड़ली	7	अन्य महिला	अन्य महिला
8		जयपुर बीसा	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
9			4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
10			5	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
11		धौलाखेड़ा	1	पिछडा वर्ग महिला	पिछडा वर्ग महिला
12		बच्चीनगर	7	अन्य महिला	अन्य महिला
13		बसन्तपुर	8	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
14		रामपुर लामाचौड	1	पिछडा वर्ग महिला	पिछडा वर्ग महिला
15		रामडी आनसिंह	2	अन्य महिला	अन्य महिला
16			5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
17			9	अन्य महिला	अन्य महिला
18		हरिपुर जमनसिंह	6	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
19		हाथीखाल	2	अन्य महिला	अन्य महिला
20		हैडागज्जर	2	पिछडा वर्ग महिला	पिछडा वर्ग महिला
21			8	अन्य महिला	अन्य महिला
22		लाखनमण्डी	9	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
23		कुँवरपुर	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
24			3	अन्य महिला	अन्य महिला
25		बमेठाबंगर केशव	5	पिछडा वर्ग महिला	पिछडा वर्ग महिला
26		हरिपुर तुलाराम	9	पिछडा वर्ग महिला	पिछडा वर्ग महिला

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
मुख्य विकास अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

अन्तिम प्रकाशन

प्रपत्र–2

सूचना :–

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनांक 11.06.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनांक 13.06.2019 के प्रस्तर–19 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 के नियम 9 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत वे ऐसे पदों, जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नहीं हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	कोटाबाग	बगडतल्ला	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
2			4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
3			7	अनारक्षित	अनारक्षित
4		गिन्तीगाँव	3	अनारक्षित	अनारक्षित
5		दोहनिया	1	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
6		अमरोली	2	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
7		अमोठा	5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
8		स्थात	2	अनारक्षित	अनारक्षित
9			3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
10		बगडतल्ला	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
11		विक्रमपुर	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
12		कमोला	1	अन्य महिला	अन्य महिला
13			6	अन्य महिला	अन्य महिला
14		कालाकूणी बन्नोबस्ती	9	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
15		गुलजारिपुर बंकी	1	अनारक्षित	अनारक्षित
16			4	अनारक्षित	अनारक्षित
17			6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
18		देवलचौड	1	अनारक्षित	अनारक्षित
19		सौड	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
20			1	अन्य महिला	अन्य महिला
21		धूधूसिगाड़ी	6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
22		बाघमी	5	अन्य महिला	अन्य महिला
23			6	अन्य महिला	अन्य महिला
24		बांसी	3	अन्य महिला	अन्य महिला
25			4	अन्य महिला	अन्य महिला

26	कोटाबाग	जलना	4	अन्य महिला	अन्य महिला
27		धनपुर	6	अनारक्षित	अनारक्षित
28			7	अनारक्षित	अनारक्षित
29			8	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
30		पत्तापानी	2	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
31		विजयपुर धमोला	3	अन्य महिला	अन्य महिला
32			7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
33		पंवलगढ़	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
34		महरोड़ा	1	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
मुख्य विकास अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

प्रारूप–2

अन्तिम प्रकाशन

–: सूचना :–

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 11.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 13.08.2019 के प्रस्तर–19 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे पदों, जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नही हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क0 स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	रामनगर	गाँधीनगर	1	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
2		गोपालनगर	5	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
3		चुकम	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
4		धरमपुर औलिया	9	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
5		नयाझिरना	5	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
6			7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
7			8	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
8		नारायणपुर मूलिया	2	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
9		पाटकोट	4	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
10		पीरूमदारा	4	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
11		बैडाझाल	1	अन्य महिला	अन्य महिला
12			9	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
13		भवानीपुर बड़ी	4	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
14		राजपुर	7	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति महिला
15			8	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति
16		सावल्दे पश्चिम	1	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति महिला
17		हिम्मतपुर ब्लॉक	2	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)

ह0 (अस्पष्ट)

ह0 (अस्पष्ट)

अन्तिम प्रकाशन

प्रारूप–2

–: सूचना :–

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 13.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020–86 (18)/2019 दिनॉक 13.08.2019 के प्रस्तर–19 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे पदों, जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नहीं हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	ओखलकाण्डा	कटना	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
2		गरगडी मल्ली	6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
3		गौनियारो	8	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
4		चकदलाड	7	अनारक्षित	अनारक्षित
5		जोस्यूडा	1	अनारक्षित	अनारक्षित
6			2	अन्य महिला	अन्य महिला
7			3	अनारक्षित	अनारक्षित
8			4	अनुसूचित जाति महिला	अन्य महिला
9			5	अनारक्षित	अनारक्षित
10			6	अन्य महिला	अन्य महिला
11			7	अन्य महिला	अन्य महिला
12		टकुरा	5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
13		टाण्डा	4	अन्य महिला	अन्य महिला
14		डलौज	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
15			7	अन्य महिला	अन्य महिला
16		ढोलीगॉव	7	अन्य महिला	अन्य महिला
17		तुषराड	5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
18		थली	2	अन्य महिला	अन्य महिला
19			6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
20		दिगोली	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
21		धैना	7	अन्य महिला	अन्य महिला
22		नाई	2	अनारक्षित	अनारक्षित
23		पजैना	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
24		पदमपुर	1	अन्य महिला	अन्य महिला
25			4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
26		पश्या	8	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
27		बरमधार	8	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
28		बलना	1	अनारक्षित	अनारक्षित
29			5	अनारक्षित	अनारक्षित
30	ओखलकाण्डा	भद्रकोट	3	अन्य महिला	अन्य महिला
31		भौनरा	3	अनारक्षित	अनारक्षित
32			7	अन्य महिला	अन्य महिला
33		महतोली	9	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
34		हैडाखान	3	अन्य महिला	अन्य महिला

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)

ह0 (अस्पष्ट)

अन्तिम प्रकाशन

परिशिष्ट-2

सूचना :-

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020-86 (16)/2019 दिनांक 11.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020-86 (16)/2019 दिनांक 13.08.2019 के प्रस्तर-19 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के पूरे पदों, जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नहीं हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मूल आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	धारी	अनेपी	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
2			7	अन्य महिला	अन्य महिला
3		बीनीतल्ली	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
4		सकदीना	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
5			5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
6		मज्यूली	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
7			9	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग महिला
8		बीचीमल्ली	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
9			6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
10			8	अनारक्षित	अनारक्षित
11		महलोलियागॉव	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
12			4	अनारक्षित	अनारक्षित
13		परवड़ा	6	अन्य महिला	अन्य महिला
14		पोखराड़	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
15		बुरांसी	8	अनारक्षित	अनारक्षित
16		सलियाकोट तल्ला	5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
17		सलियाकोट मल्ला	3	अन्य महिला	अन्य महिला
18		कौल	6	अन्य महिला	अन्य महिला
19		कोकिलबना	7	अन्य महिला	अन्य महिला
20		गजार	7	अन्य महिला	अन्य महिला
21		धानाचूली	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
22		अक्सोड़ा	4	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
23		लदफोड़ा	6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
24		गुनीगॉव	6	अन्य महिला	अन्य महिला
25			7	अन्य महिला	अन्य महिला
26		अघरिया	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
27			9	अन्य महिला	अन्य महिला
28		गुनियालेख	4	अनारक्षित	अनारक्षित
29			7	अन्य महिला	अन्य महिला
30		पुटगॉव	5	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
31		पोखरी	4	अनारक्षित	अनारक्षित
32			7	अन्य महिला	अन्य महिला
33		[illegible]	7	अन्य महिला	अन्य महिला

34	धारी	अम्दो	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
35			2	अनारक्षित	अनारक्षित
36			4	अन्य महिला	अन्य महिला
37			5	अनारक्षित	अनारक्षित
38			6	अन्य महिला	अन्य महिला
39		हरिनगर सरना	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
40			4	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
41			5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
42		पनियाली	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
43			3	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
44			4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
45			5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
मुख्य विकास अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

अन्तिम प्रकाशन

प्रारूप–2

–: सूचना :–

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 11.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 13.08.2019 के प्रस्तर–49 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे पदों, जहां कि आरक्षित श्रेणी का मात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नहीं हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	भीमताल	पपतोला	3	अनुसूचित जाति महिला	अन्य महिला
2		जंगलियागाँव	5	अन्य महिला	अन्य महिला
3		चौफी	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
4		अधौड़ा	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
5		खमारी	4	अन्य महिला	अन्य महिला
6		गहलना	3	अनारक्षित	अनारक्षित
7		नलनी	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
8		बजून	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
9		भल्यूड़ी	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
10		बेलुवाखान	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
11			5	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
12		ओखलढूंगा	5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
13		पसौली	5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
14		गुमालगाँव	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
15		पनियाबोर	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
16		बड़ैत	4	अन्य महिला	अन्य महिला

अन्तिम प्रकाशन

प्रारूप–2

–: सूचना :–

सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 11.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020–86 (16)/2019 दिनॉक 13.08.2019 के प्रस्तर–19 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आंवटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे पदों, जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नही हो सका है एवं निर्वाचन/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	रामगढ	प्यूडा	3	अन्य महिला	अन्य महिला
2		सतोली	7	अन्य महिला	अन्य महिला
3		बियारी	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
4		छतोली	7	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
5		क्वारब	1	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
6		सतखोल	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
7			7	अन्य महिला	अन्य महिला
8		दनकन्या	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
9		मौना	7	अन्य महिला	अन्य महिला
10		अनूठी	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
11		गैराडीलटवाल	6	अन्य महिला	अन्य महिला
12		नथुवाखान	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
13		लोश्झानी	2	अनारक्षित	अनारक्षित
14		बड़ीबांझ	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
15		भियालगाँव	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
16		मनसा	2	अन्य महिला	अन्य महिला
17			6	अन्य महिला	अन्य महिला
18		गंगरकोट	2	अनारक्षित	अनारक्षित
19		छियोडी	1	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
20			2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
21			5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
22			6	अन्य महिला	अन्य महिला

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)
विकास खण्ड अधिकारी

ह0 (अस्पष्ट)
मुख्य विकास अधिकारी,
नैनीताल

ह0 (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

अन्तिम प्रकाशन

प्रारूप-2

— सूचना —

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 955/XII(1)/2020-86 (16)/2019 दिनांक 11.08.2020 एवं शासनादेश संख्या 911/XII(1)/2020-86 (16)/2019 दिनांक 13.08.2019 के प्रस्तर-10 में दिये गये निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 के नियम 5 (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के ऐसे पदों, जहाँ कि आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने से नामांकन नहीं हो सका है एवं निर्वाचित/उपनिर्वाचन के बाद भी पद रिक्त है, ऐसे रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को निम्नानुसार अन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	पूर्व आरक्षण की स्थिति	वर्तमान आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	बेतालघाट	रोपा	6	अन्य महिला	अन्य महिला
2		सीम	1	अनारक्षित	अनारक्षित
3			2	अनारक्षित	अनारक्षित
4			3	अन्य महिला	अन्य महिला
5			4	अनारक्षित	अनारक्षित
6			5	अन्य महिला	अन्य महिला
7			6	अन्य महिला	अन्य महिला
8			7	अन्य महिला	अन्य महिला
9		खैरालीबूगा	1	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
10		बादरकोट	2	अनारक्षित	अनारक्षित
11			6	अन्य महिला	अन्य महिला
12		बुढलाकोट	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
13		कण्डा	4	अन्य महिला	अन्य महिला
14		कफुल्ला	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
15		कटीमीगजार	6	अन्य महिला	अन्य महिला
16		मल्लाबर्था	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
17		मल्लाकोट	7	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
18		थापलरीची	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
19		सिल्टोना	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
20		दिग्थरी	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
21			7	अन्य महिला	अन्य महिला
22		तिवारीगाँव	2	अन्य महिला	अन्य महिला
23		हरतपा	1	अन्य महिला	अन्य महिला
24			7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
25		हल्सी	5	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
26		मवालीगाँव	2	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
27		भतरोज	3	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
28		सेठीधारकोट	6	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
29		सेठीबेलगाँव	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
30		सूखा	3	अन्य महिला	अन्य महिला
31		उलगौर	7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
32		दाड़िमा	1	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
33		चौर्सा	6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
34		चन्द्रकोट	6	अन्य महिला	अन्य महिला

35	बेतालघाट	सोशड	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
36			6	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
37		तल्लाकोट	2	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
38		तल्लीसेठी	2	अनारक्षित	अनारक्षित
39			6	अन्य महिला	अन्य महिला
40		जोग्याड़ी	4	अन्य महिला	अन्य महिला
41			7	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
42		लोहाली	4	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति महिला
43		सिरोडी	02	अनारक्षित	अनारक्षित
44		ढोलगॉव	07	अनारक्षित	अनारक्षित

दिनॉक: 31–12–2020

ह0 (अस्पष्ट)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
मुख्य विकास अधिकारी,
नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन–2022 हेतु सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों का विवरण।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	जिला पंचायत का नाम	आरक्षण
1	हल्द्वानी	22–जग्गीबंगर	अनारक्षित
2	कोटाबाग	18–गुलजारपुरखंकी	अनु0जा0महिला

ह0 (अस्पष्ट)
(प्र0) सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/463–भाग–3–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 11, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेने अपनी पुत्री का नाम AVARNYA से बदलकर AVARNYA MITTAL रख दिया है भविष्य मे उसे AVARNYA MITTAL पुत्री श्री मनोज मित्तल के नाम से जाना पहचाना जाये।

जिसके लिये समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

मनोज मित्तल पुत्र श्री मित्रसैन निवासी 228
प्रेमनगर गली नं0 5 शिव मन्दिर के पास रूडकी
तहसील रूडकी जिला हरिद्वार।

सूचना

मैने अपना नाम सुधीर कुमार शर्मा से बदलकर सुधीर कुमार कर लिया है। भविष्य में मुझे सुधीर कुमार पुत्र श्री राम सिंह के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुधीर कुमार पुत्र श्री राम सिंह
निवासी 22 टाईप–2 सैक्टर–1,
भेल रानीपुर रेंज, हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

21 जून, 2021 ई0

पत्रांक–178/आदेश/2020–21—नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा 2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 की उपधारा 1(II)(III) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेकल सलज, एवं सेप्टेज प्रंबधकीय उप नियम–2019 बनायी जाती है जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुक्षाव प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुक्षाव एवं आपत्ति अधीशासीय अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुक्षावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः

(1) ये उप-नियम नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढवाल फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2019 कहलाएगा।

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढवाल के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) उप-नियम नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढवाल की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंधक इन मामलों में / सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/ फेकल सलज सेप्टिक टैंक, गडढे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीतिः

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 घोषित की है जिसमे शहर पूर्ण रुप से स्वच्छ तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित सफाई व्यवस्था हो सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकालः

नगर पंचायत कीर्तिनगर में उचित प्रबन्ध योजना या प्रटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रुप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरुप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह नि शुल्क किसानो मे वितरित की जायेगी। जल आपुर्ति एंव सीवरेज अधिनियम 1975, नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड

सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या पाइपलाइन. 597/4(2) यु0डी0-2017-50/16,दिनांक 22.05.2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल कीर्तिनगर शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/ फेकल सलज का निस्तारण और पुन प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आन्तरिक विभागीय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0 जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरिया उप कानून फेकल सलज सेप्टेज प्रबंधन का नियमितीकरण-

सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या-597/V(2)-श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22.5.2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत कीर्तिनगर नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्रित करने परिवहन और सेप्टेज/ फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फेकल फेकल सलज एवं सेप्टेज जी प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो यहां स्वीकृत किया गया है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत कीर्तिनगर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र-

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्नवत है-

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रख-रखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि सलज और सेप्टेज से संबंधित है।

2.क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशत करना जो की सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से संबंधित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3.उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4.लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।

निजी और गैर सरकारी क्षेत्र में फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण परिवहन इलाज सेप्टेज के खुद-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना-

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/ फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करना-

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना जो की गहराई में पहुंच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आवे जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज / फेकल सलज का परिवहनः

1- फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे । जैसा कि

2- फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि-

अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फैकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे ।

ब- कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज-

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय में इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 25 कि० मी० दूर अंतर्गत स्थित नजदीकी उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस0 टी0 पी0 में परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेंगे ।

5 . सुरक्षा उपायः

1 . उचित तकनीकी सयंत्र सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा । फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा । इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट , गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र, मलनिस्तारण गाडी में रखे जायेंगे । जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो धूम्रपान वर्जित रहेगा ।

2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा । बच्चों को टैक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा एवं टेक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6 . सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू० एल० बी० दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो । इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा । ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे । पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट - ए, 2 में संलग्न है ।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु हैं । जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस० एम० सी० के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है ।

सामाग्री 1 : पंजीकरण व्यय

अ . प्रारम्भिक पंजीकरण	रु 2000.00 प्रति गाडी
ब. नवीनीकरण	रु 1500.00 प्रति गाड़ी

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1. इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0 एल0 बी0 में फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु।

7.2. इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू0 एल0 बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित हैं और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, इनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है ।

7.3 यू0 एल0 बी0 अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु ।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है ।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन / सेप्टिक टैंक मालिक से यू0 एल0 बी0 द्वारा वसूल कर यू0 एल0 बी0 मे जमा किया जायेगा ।

ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है ।

सारणी 2 : **उपभोक्ता लागतः**

पंचायत क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आश्य की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैंक ओवर-फ्लो तो नहीं हो रहा है, तुरन्त पंचायत से सुपरवाईजर को भेज कर जांच करवायेंगे । इसके अलावा पंचायत में से सैप्टिक टैंक को खाली कराने के आवेदन के आने पर पंचायत द्वारा जांच करायी जायेगी कि सैप्टिक टैक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे । तसदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क

1. पंचायत के सीवर टैंकर की क्षमता 4000 लीटर :-

2. पंचायत सीमा के भीतर- रू0 3000 / - प्रति फेरा , तथा रू 0 1000 / STP शुल्क , कुल रू 0 4000/- भवन स्वामी पंचायत मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे में 2000/- रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

3. पंचायत सीमा के बाहर - रू0 8000 /- प्रति फेरा, तथा रू0 1000 /- STP शुल्क , रू0 1000 / एवं रू 0 500 /- प्रति किमी, आधार पर भवन स्वामी पंचायत मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000 /- रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

4. पंचायत द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बन्धित सैप्टिक टैंक में 4000 ली0) का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है ।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना-

8.1. कोई भी व्यक्ति जो कि एस० एम० सी० / नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/ संस्थागत आदि का निरीक्षण करना ।

8.2. मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत बीरेन्द्रनगर में जमा की जायेगी ।

8.3. यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे ।

8.4. अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा ।

9. दंड-

दंड का ढांचा उपकरण से रहित / अकार्यशील जो0 पी0 एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें , फेकल सलंज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट / आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना । सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना :-

सारणी 3- दंड

क्र0स0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन

			से सम्बन्धित	
1-	लोगों की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट निरस्तीकरण
2-	सेप्टेज/ फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	1000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
3-	पंजीकरण न करना/ पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थागित करना/ परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थागित
4-	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना एंव जी0पी0एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कीर्तिनगर टि0ग0।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष
नगर पंचायत कीर्तिनगर टि0ग0।

कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा, (ऊधमसिंहनगर)

विज्ञप्ति

24 फरवरी, 2022 ई0

पत्रांक–77/न0प0/उपविधि/गजट/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 में दिनांक 10–12–2015 को पारित आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊ0सिं0नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 27.08.2021 के प्रस्ताव सं0–01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम–2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही हैं, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा हैं।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम–2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, फर्म, उद्योग, को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत केलोखेड़ा में प्रस्तुत कर सकता हैं, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत है:–

परिभाषा :–

1– संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :– यह उपनियम नगर पंचायत केलाखेड़ा "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम–2021, नियमावली कहलायेगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पंचायत केलाखेड़ा की सीमा के भीतर लागू होगें।

2– नगर पंचायत – नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत केलाखेड़ा के परिसीमन 2018 के उपरान्त 09 वार्डो की सीमा से हैं।

3– अधिशासी अधिकारी– अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत केलाखेड़ा के कार्यपालक अधिकारी से हैं।

4– अध्यक्ष – अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत केलाखेड़ा के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं, अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासक/उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं।

5– सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल– सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पंचायत केलाखेड़ा में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी बाजपुर होंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केलाखेड़ा सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा एवं अवर अभियन्ता, नगर पंचायत केलाखेड़ा नामित सदस्य होंगे।

1–प्रसंग :– राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टज/फीकल स्लज सेप्टिक टैकं गढढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1–राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति :–

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत–सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहे एवं अच्छी सफाई की जा रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही

फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन हो सके, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्वदेश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था प्रत्येक परिवार के लिये गलियों में, नगर में और शहरों में बनी रह सकें।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकाल :–

माननीय एन0जी0टी0के आदेश सं0–10/2005 दिनॉक 10–12–2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है। जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये ओर उसका समुचित प्रबन्ध किया जाये। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पंचायत केलाखेड़ा की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सकें। आदेश सं0 597/(iv(2)–श0वि0–2017–50(सा0)/16 दिनॉक 22–05–2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण,परिवहन,उपचार, सैप्टिज/ फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी कियान्वयन के लिये ओर आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक ,,सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल,, का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा, पेयजल निगम, जल संस्थान होगें।

2–नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितीकरण :– सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं0–597/(iv (2)– श0वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनॉक 22–05–2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय–2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत केलाखेड़ा नियमित ढाचॉ को रिक्त करने,एकत्र करने,परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहॉ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3–उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :– इस नियमावली के उद्वेश्य एव कार्य निम्नवत है:–

1– निर्माण सैप्टिक टैकं के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रखरखाब जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है।

2–क्षैत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैकं ओर शौचालय के गढढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।

3–उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4–लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5–निजि और गैरसरकारी क्षैत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4–एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनाना ।

4–(1)सैप्टिक टैकं ओर सैप्टज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना :–

सैप्टिक टैकं की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार–2 के आखिर में जो डिजायन हैं जो कोई भी पहले आये,

..जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिक टैकं में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैकंर का उपयोग(जो नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है)_नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैकं का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।

...सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैकं के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें।

4(2)सैप्टेज/फिकल स्लज का परिवहन :–

1– फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय–2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे।

(2)फिकल स्लज ओर सैप्टेज फिकल निर्माता यह आश्वासन देगें कि :–

(अ) पंजीकृत सग्रंह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा। ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगें।

(ब)कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा।

4(3)सैप्टज का निष्पादन ओर इलाज–राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पंचायत केलाखेड़ा की अपनी एक ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।

5– सुरक्षा उपाय :–

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें ।

(2)फिकल स्लज और सेप्टेज टान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करें–

(अ)समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन,लोयस,रबर बूट,चेहरे का मास्क,
ऑखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजंर ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।

(ब)समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षैत्र से पहले अपना लिया जायें।

(स)समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थयवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये।

(द)प्रथम सहायता किट,गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है,इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षैत्र में जाता है।

(य)सैप्टिक टैकं पिट लैट्रिन में काम चल रहा है। उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है।

(र)मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढढे में प्रवेश नही करेगें। ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगें जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

(ल) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6–सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन :–

6.1 नगर पंचायत केलाखेड़ा परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।

6.2 नगर पंचायत केलाखेड़ा सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही [illegible] अनुमन्य है। जब तक

सारणी–1 पंजीकरण व्यय

अ–प्रारम्भिक पंजीकरण– रू0 2,000=00 प्रतिवाहन/गाडी

ब–वार्षिक नवीनीकरण– रू0 1,500=00 प्रतिवाहन/गाडी

स–नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन – रू0 1,000=00 प्रतिवाहन/गाडी

द–अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार – रू0 1,500=00 प्रतिवाहन/गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा)

7–उपभोक्ता लागत और इसका संचयः–

क0सं0	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैकं एवं शौचालय गढढे हेतु निर्धारित है।	मासिक दण्ड 1–5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1–	टीनशैड वाला मकान	1000=00	कम से कम 2–3 वर्ष मे एक बार जब 2 टैंक होते हे 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ।	50=00
2–	अन्य समस्त मकान	2500=00		100=00
3–	दुकान	2500=00		125=00
4–	सरकारी/निजि कार्यालय	2000=00		250=00
5–	बैकं	3500=00		350=00
6–	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000=00		500=00
7–	रेस्टोरेन्ट	2000=00		500=00
8–	होटल/गेस्ट हाउस (1–10 कमरे)	3500=00		250=00
9–	धर्मशाला(1–25 कमरे)	3500=00		625=00
10–	सकारी स्कूल/कालेज	2000=00		1000=00
11–	निजि स्कूल/कालेज	2500=00		500=00
12–	20 व्हीलर व्हीकल शौरूम	2000=00		625=00
13–	विवाह हाल/बैकंट हाल	3500=00		1100=00
14–	वार	3500=00		625=00
15–	सरकारी हास्पिटल	3000=00		625=00
16–	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000=00		500=00
17–	पैथोलाजी लैब	3000=00		500=00
18–	निजी अस्पताल 20 बैड तक	3500=00		500=00
19–	चावल मिल/अन्य मिल	3500=00		1750=00

7.1 इस क्षैत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैकं और शौचालय के गढढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पंचायत केलाखेड़ा में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय–2 पर दर्शाया गया है। जो कि सेप्टिक टैकं के भरने शौचालय के गढढे,परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 नगर पंचायत केलाखेड़ा अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय–2 इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 उपभौक्ता लागत क्षैत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है।

(अ)–उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पंचायत केलाखेड़ा के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

(ब)–उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष

सारणी–2 उपभोक्ता लागत

नोट–: उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत केलखेड़ा द्वारा निर्गत किये जायेगें।
2–मल निस्तारण समयावधि में होगा,या जब टैकं 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा स्वीकृत है)
3–उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8–मैकेनिजम का निरीक्षण,क्रियान्वयन और मजबूती देना :–

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0 (सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पंचायत केलखेड़ा द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैकं एवं हर एक मकान के शौचालय,गढढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।
8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पचांयत कोष में जमा होगी ।
8.3 नगर पंचायत केलाखेड़ा, क्षैत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।
8.4 अवचेतना कार्यकम समय–2 पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सैप्टिक टैकं, बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैकं का एकत्रीकरण,मशीनरी,परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज।

9–दण्ड:–

दण्ड का ढाचॉ उपकरण रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टज ईलाज प्लान्ट का/आर0एन0एल0 का रजिस्टैशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।

सारणी–3 दण्ड

क0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1–	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500=00	5000=00	तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण।
2–	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षैत्र में	1000=00	6माह के लिये परमिट को स्थगित करना।	
3–	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।	1000=00	2000=00	आर0 टी0 ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगितकरना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना।

शास्ति/दण्ड

नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊधमसिंहनगर) की सीमान्तर्गत "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनॉक 10–12–2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्व पाये जाने पर रू0 5,000=00(पॉच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्व होने की स्थिति में रू0 5,000=00 (पॉच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 100=00 (एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे–खर्चे की वसूली भू–राजस्व की भॉति वसूल की जायेगी। विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षैत्र जिला– उधमसिहनगर होगा ।

कुलदीप सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत केलाखेड़ा,
(ऊधमसिंहनगर)

राकेश चन्द्र तिवारी,
प्रशासक,
नगर पंचायत केलाखेड़ा,
(ऊधमसिंहनगर)

कार्यालय नगर पंचायत चौखुटिया अल्मोडा

लाईसेन्स नियमावली

14 मार्च, 2022 ई0

पत्रांक–344/न0पं0चौखुटिया/गजट/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत चौखुटिया जनपद अल्मोडा ने नगर पालिका/नगर पंचायत एक्त संसोधित 1994 की धारा–298 की सूची जे0ए0बी0सी0 के अधिन अपनी सीमान्तर्गत वाणिज्य व्यवसाय व्यवस्थां हेतु लाईसेन्स के उपनियम जो कि शासनादेश सं0 2399/नौ–9–94–204 जनरल/94 दिनांक 27/10/94 नगर विकास अनुभाग–9 के द्वारा निर्देशित जिन्हे शा0 2806/नौ–8–1994–204 (जनरल) 90 दिनांक 31/12/94 तथा शासनादेश सं0 1847/नौ–9–97–23 ज–97 दिनांक 09 जून 1997 द्वारा अन्तिम माना गया है तहत निम्नलिखित उपनियम बनाये गये है यह उपनियम शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से नगर पंचायत चौखुटिया की सीमा में लागू एवं प्रभावी होंगे। धारा–301 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशन किया जा रहा है उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पडने की सम्भावना है इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, नगर पंचायत चौखुटिया (अल्मोडा) के नाम इस कार्यालय में लिखित आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परिभाषाः–

1. यह उपनियम नगर पंचायत चौखुटिया अल्मोड़ा के विधिव्यासाय लाइसेंस उपनियम कहलाये जाऐगे। जो नगर पंचायत चौखुटिया की सीमाकंन प्रभावी एंवं लागू होंगे।
   (क) नगर पंचायत चौखुटिया का तात्पर्य नगर पंचायत चौखुटिया से है।
   (ख) अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत चौखुटिया से है।
   (ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चौखुटिया से है।
2. कोई भी व्यक्ति/संस्था/व्यवसायी संस्था नगर पंचायत सीमान्तर्गत अनुसूची में दिये गये व्यवसाय को नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने सम्बन्धित व्यवसाय का लाईसेन्स प्राप्त नहीं कर लेगा।
3. इन उपनियमों के अधीन 'अधिशासी अधिकारी' नगर पंचायत चौखुटिया या उनके द्वारा नामित कर्मचारी लाईसेन्स अधिकारी होंगे।
4. लाईसेन्स का निर्धारित शुल्क नगर पंचायत चौखुटिया के कार्यालय मे जमा करने पर प्रतिवर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में बनवाया जा सकेगा।
5. लाईसेन्स स्वीकृत/प्राप्ति हेतु प्रत्येक व्यवसायिक संस्था या व्यक्ति को अनुसूची के अनुरूप व्यवसाय करने वाले को लाईसेन्स प्राप्त करने के लिये अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ष मार्च के 31 वे दिन तक अपना आवेदन पत्र निकाय कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. यह कि लाईसेन्स जो नियम के अनुरूप निर्गत किया जायेगा कि अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य तक प्रभावित रहेगी।

7. यह कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी छुत की विमारी या संक्रामक रोग से पीडित हो तो सूची में वर्णितय व्यवसाय को नही करेगा। न ही कोई ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में लगायेगा और न ही रख सकेगा।
8. यह की सूची में निर्दिष्ट के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति संस्था या व्यवसाय में संलग्न है या कर रह है को उसके अनुरूप सफाई धूल के कण हानिकारक कीटाणु आदि से बचाव के लिये स्वयं के स्तर से व्यवसाय करना होगा।
9. यह कि इन उपनियमों में वर्णित व्यवस्था सम्बन्धी कोई भी अनसूची के व्यवसाय सम्बन्धी पूर्व में यदि कोई भी उपनियम होंगे तो वह इन उपनियमों के गजट में प्रकाशन की तिथि से स्वतः रद्द हो जायेंगे, और उनके स्थान पर यह उपनियम प्रभावी होंगे।
10. यह कि लाईसेन्स धारक व्यक्ति संस्था या संस्थान इन उपनियमों में वर्णित किसी भी अंश के उलंघन पर लाईसेन्स अधिकारी जैसा कि निर्दिष्ट है को लाईसेन्स निरस्त करने का अधिकार होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह व्यक्त संस्था या संस्थान द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत चौखुटिया के समक्ष स्वयं उपस्थित हो अपील कर सकेगा। जों अवधि बाद प्रभावी नहीं होगी।
11. अधिशासी अधिकारी द्वारां नामित या इंगित कर्मचारी जो इस कार्य हेतु प्रधिकृत किया जाय जो किसी भी समय इन उपनियमों के अधिन निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि वे निरीक्षण प्राप्त का हानिकारक अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ जो कि मानव जीवन के लिये घातक हों उन पदार्थो को तत्काल नष्ट कर सकेगा।
12. लाईसेन्स हेतु प्रार्थना –पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा जबकि उक्त व्यक्ति संस्था तथा व्यवसायी निर्धारित शुल्क की राशि नगर पंचायत चौखुटिया के कार्यालय में प्राप्त करा दी गई हो।
13. यदि कोई लाईसैंसदार अपने व्यवसाय का लाईसैंस एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक नही बनाता है तो उसके पश्चात लाईसैंस की धनराशि पर प्रतिदिन रू. 10/– विलम्ब शुल्क देना होगा।
14. जो शुल्क इस पालिका में नही है उनके अतिरिक्त अन्य शुल्क नगर पंचायत चौखुटिया की सीमा के अन्दर लगने वाले मेले में अस्थायी व्यवसाय हेतु अस्थाई लाईसैंस दिये जायेंगे जिनका मूल्याकंन सूची में दिये गये व्यवसाय की दरों के आधार पर किया जायेगा और जो व्यवसाय सूची में नही है उनके लाईसैंस की दरे नगर पंचायत बोर्ड द्वारा तय/निर्धारित की जायेंगी।
15. नगर पंचारयत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान के लाईसैंस का निरीक्षण कर सकते है तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश करने के लिये अधिकृत होंगे।
16. नगर पंचायत चौखुटिया अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों आदि का एक रजिस्टर बनाया जायेगा तथा उसी के आधार पर वार्षिक लाईसैंस निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया जायेग। यदि कोई व्यक्ति अथवा लाईसैंसदार निर्धारित अवधि में लाईसैंस की धनराशि नगर पंचायत कार्यालय चौखुटिया में जमा नही करता है या चूक करता है तो उसे लाईसैंस की धनराशि वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173(क) के अन्तर्गत जिला अधिकारी महोदय को वसूली प्रमाणं पत्र प्रेषित कर–भू–राजस्व के बकाया के

रूप में प्रतिदिन रू. 10/ विलम्ब शुल्क सहित वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत चौखुटिया को होगा।

क्रं0 सं0	मद का नाम	निर्धारित लाईसैंस शुल्क
01	होटल व रेस्टोरन्ट	1000.00
02	बारतघर मैरिज हाल गेस्ट हाउस, मुसाफिरखाना	1000.00
03	10 शैया तक	
04	11 शैया से 20 तक	1000.00
05	21 शैया से 30 तक	1200.00
06	31 शैया से 40 तक	1400.00
07	41 शैया से 50 तक	1600.00
08	3 सितारा होटल सुविधा युक्त	5000.00
09	रेस्टोरेन्ट	500.00
10	मिठाई की दुकान	300.00
11	मिठाई चाय–चाट इत्यादि	300.00
12	सिर्फ चाय	150.00
13	चाय के साथ चाय बिस्कुट आदि	100.00
14	बारबर की दुकान 1 से 3 सीट तक	400.00
15	बारबर की दुकान 4 से ऊपर	500.00
16	आटा दाल चावल आदि के थोक विक्रेता	500.00
17	फुटकर विक्रेता	300.00
18	सब्जी के थोक विक्रेता	300.00
19	सब्जी विक्रेता फुटकर	200.00
20	एक्सरे क्लीनिक	200.00
21	पैथोलॉजी	300.00
22	प्राईवेट क्लीनिक	500.00
23	नर्सिंग होम	500.00
24	थोक दवा विक्रेता	500.00
25	फुटकर दवा विक्रेता	200.00
26	कबाडी (थोक)	300.00
27	कबाडी (फुटकर)	200.00
28	आईसक्रीम फैक्ट्री	200.00
29	आईसक्रीम फुटकर विक्रेता	100.00
30	जनरल स्टोर थोक	500.00
31	जनरल स्टोर फुटकर	200.00
32	शराब विदेशी	25000.00
33	शराब देशी	15000.00
34	बार	5000.00
35	मानचित्रकार (आई.टी.आई.सिविल डिप्लोमा)	2500.00
36	भूकम्प अवरोधी इन्जीनियर	2500.00
37	बकरा मीट लाईसैंस शुल्क	800.00
38	सूअर/भैंसा मीट लाईसैंस शुल्क	1000.00

39	मुर्गा/मछली मीट लाईसैंस शुल्क	800.00
40	बैण्ड मास्टर	200.00
41	पशु वधशाला	500.00
42	1 बकरा प्रति	50.00
43	2 भैंसा प्रति	100.00
44	3 सुअर प्रति	100.00
45	नगर क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले राज मिस्त्री ठेकेदार	200.00
46	नगर क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले करपेन्टर	200.00
47	आरा मशीन	500.00
48	ग्रिल वर्कशाप	500.00
49	आटो मोबाईल/वर्कशाप	500.00
50	पेन्ट/हार्डवेयर	500.00
51	मोबाईल/दूर संचार टावर	2000.00
52	दुग्ध व्यवसायी	150.00
53	सिमेन्ट सरिया तथा रेता व्यवसायी	300.00
54	टैन्ट हाउस	300.00
55	मनोरंजन गृह	500.00
56	केबिल	500.00
57	इलैक्ट्रिकल्स/टी.बी. विक्रेता	300.00
58	पान व्यवसाय	150.00
59	पेट्रोल पम्प	2000.00
60	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत फेरी व्यवसाय करने वालें	100.00
61	कपडे एंव फुटकर सामानों की सेल लगाने वाले पर	100.00
62	फर्नीचर आदि पर	200.00
63	ब्रेकरी	200.00
64	ब्यूटी पार्लर	200.00
65	कपडा विक्रेता	200.00
66	नेपाली/मजदूर को जारी टोकन	100.00
67	सडक किनारे सामान/अन्य निर्माण सामग्री रखने वाले को	50.00 प्रतिदिन

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत चौखुटिया,
अल्मोडा।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक/उपजिलाधिकारी,
नगर पंचायत द्वाराहाट,
अल्मोडा।

कार्यालय नगर पंचायत चौखुटिया जनपद अल्मोडा

तहबज़ारी नियमावली

14 मार्च, 2022 ई0

पत्रांक–344/न0पं0चौखुटिया/गजट/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र सं0 1071/30–1(2009–10) उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 296 (2) लिस्ट–1 ई(जी) अन्तर्गत नगर पंचायत चौखुटिया सीमा के अन्दर तहबाजारी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित नियम बनाये गये है। यह उपनियम गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत चौखुटिया की सीमा में लागू होंगे। उन व्यक्तियो जिस पर इसका प्रभाव पडने की सम्भावना है इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, नगर पंचायत चौखुटिया (अल्मोडा) के नाम से इस कार्यालय में लिखित आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है। नियम अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

1–नियमावली–

(क) यह नियमावली तहबजारी नियमावली नगर पंचायत चौखुटिया के नाम से प्रकाशित की जायेगी।

(ख) इस नियमावली का विस्तार नगर पंचायत चौखुटिया के सम्पूर्ण सीमा कोड में होगा।

(ग) गजट में प्रकाशित होने के दिनांक मे प्रभावी होगा।

2– परिभाषाः–

(क) नगर पंचायत चौखुटिया का तात्पर्य नगर पंचायत चौखुटिया से है।

(ख) अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत चौखुटिया से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चौखुटिया से है

3–उपनियम–

इन उपनियमों से निर्धारित स्थानों तथा उपनियमों की सूची में वर्णित तहबजारी की दरो के अनुसार भुगतान करने के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य किसी सार्वजनिक स्थान सडक,सडक पट्टी तथा नालियों पर कोई सामान बेचने के लिये नही रखेगा, न कोई अस्थायी डेस्क या स्टाल ही लगायेगा न किसी जानवर या गाडी को व्यवसायिक उद्देश्य से खडा करेगा न किसी प्रकार के मोटर गाडी मोटर साईकिल या अन्य वाहनों की मरम्मत या निर्माण या मंगर (बाडी) की मरम्मत करेगा न उन्हे खडा करेगा।

नोट–

1. किसी गाडी अथवा मोटर गाडी के लिये जो नाल भरने या उतारने के उद्देश्य से खडी हो तहबजारी नही ली जायेगी बर्शते की एक घण्टे के अन्दर माल भरा या उतार दिया जाये। अन्यथा नगर पालिका उपनियम 1916 की धारा 265 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. जब भी तहबाजारी की वसूली लागू की जाय प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे तहबाजारी देय होती हो तहबाजारी की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा नियुक्त कर्मचारी की मांग करने पर तुरन्त तहबाजारी अदा करेगा ।
3. इन नियमों के अनुसार लगायी गई तहबाजारी को वसूल करने वाला व्यक्ति पारूप एम0एम0सी0बी0–/100 में रसीद प्रतिपूर्णो के बनायेगा। और रसीद को कूपन सहित

पुनः जारी की जायेगी और न ही रसीद को उनमें निर्दिष्ट अवधि के उपरान्त पुनः पृष्ठांकित किया जायेगा।

4. रसिदों का कुलीम योग प्रत्येक पृष्ठ के प्रतिपूर्ण के अन्त में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जायेगा।

5. जब कभी भी नगर पंचायत के किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी द्वारा जो कि रसीद की जांच करने के लिये नियुक्त हो रसीद की मांग की जावे टिकट धारी व्यक्ति को उन्हे रसीद देनी होगी।

6. ऐसा अधिकारी जिस प्रकार भी आवश्यक समझे टिकट का निरीक्षण करेगा और रसीद के कूपन को भरकर प्रतिपूर्ण से गिलान के लिये अपने पास रख लेगा और रसीदो को अपने हस्ताक्षर करने उपरान्त टिकटधारी व्यक्ति को लौटा देगा।

7. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक स्थान सडक या गली में विकी के उद्देश्य के घास–फूस तथा लकडी टिन इत्यादि नही रखेगा।

8. कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर बिना उनसे स्वीकृति प्राप्त किये कोई डेस्क नही लगायेगा।

9. कोई भी व्यक्ति अस्थाई रूप से डैस्क लगाने हेतु जमीन पैमाईशी 2.5 मी. X 2.5 मी (मय झाप आदि के) से अधिक का अभिधारण नही करेगा।

10. कोई भी व्यक्ति हितचिन्तक भवन चौराहे के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पशु/अन्य कोई सामग्री विक्रय नही करेगा।

11. देय तहबजारी की अदायगी न करने के फलस्वरूप यदि तहबाजारी की वसूली कार्यालय में की जाये तो अधिशासी अधिकारी पर निहित होगा कि से सूची में निर्धारित दर से अधिक अधिक रकम वसूल करने का निर्देश दें।

12. जब तक कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीसे लिखित अनुमति न ली गई हो कोई भी व्यक्ति नगर सिमा के अन्दर किसी भी स्थान पर अस्थाई डैस्क नही रखेगा।

13. यदि उपनियम 12 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कर ली गई तो प्रार्थी नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आकार प्रकार नाप तथा रेशों के अनुसार डैस्क बनायेगा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने पर अनुमति रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत में निहित होगा।

तहबाजारीदरों की सूची

क्र0स0	विवरण	दर
01	हल्दी,मिर्च,आलू,लाही,रूई तथा गुड और प्रत्येक प्रकार की फल सब्जियों अनाज या किराना	प्रतिडेस्क या स्थान 2.5 फिटX2.5 फिट से कम रू. 25.00 प्रतिदिन
02	.....तदैव.....	प्रतिडेस्क या स्थान 5.00 फिटX5.00 फिट तक रू. 35.00 प्रतिदिन
03	व्यवसायिक उद्देश्य से खुली सरकारी भूमि का अभिधारण पैमायशी 3 मी.X 3 मी.या 9 वर्ग मी.तक	50.00 रूपया प्रतिदिन
04	अस्थाई लकडी का डैस्क 3मीX3मी या 9 वर्ग मी.	50.00 रूपया प्रतिदिन
05	खोम्चा	50.00 रूपया प्रतिदिन
06	हिडौला या चरखा	25.00 रूपया प्रतिदिन
07	सरकस या संगीत	50.00 रूपया प्रतिदिन

08	प्रचारको द्वारा जडी–बूटी या दवाईयों की बिकी	20.00 रूपया प्रतिदिन
09	घोडा खच्चर गाय–बैल को विकय करने हेतु प्रदर्शित करने पर	50.00 रूपया प्रतिदिन
10	भेड बकरी को विकय करने हेतु प्रदर्शित करने पर	30.00 रूपया प्रतिदिन
11	घी एंव वनस्पति उत्पाद विकय करने पर प्रदर्शनी	20.00 रूपया प्रतिदिन
12	प्लास्टिक उत्पाद विकय हेतु प्रदर्शित करने पर	20.00 रूपया प्रतिदिन
13	फड खुली नजूल/सरकारी भूमि पर	20.00 रूपया प्रतिदिन
14	मोची के फड	20.00 रूपया प्रतिदिन
15	निलामी द्वारा किसी वस्तु का विकय	20.00 रूपया प्रतिदिन
16	भाषणों द्वारा ग्राहक को आमंत्रित कर मजमा लगाकर किसी वस्तु का विकय या व्यापार	20.00 रूपया प्रतिदिन
17	ट्रक,बस आदि बडे वाहनो को सडक के किनारे खडे करने पर	50.00 रूपया प्रतिदिन
18	कार,स्कूटर मोटर साईकिल को सडक के किनारे खडे करने पर	20.00 रूपया प्रतिदिन
19	घास–भूसा जलाने वाली लकडी की विकी पर	20.00 रूपया प्रतिदिन
20	अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु/व्यवसाय पर	20.00 रूपया प्रतिदिन

दण्ड

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत चौखुटिया यह निर्देशित करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम 1,2,5,7,8,10 तथा 12 का उल्लघंन अधिकतम अर्थ दण्ड रू0 2000.00 तक होगा। तथा दोष सिद्ध होने के उपरान्त उसी अपराध की पुनरावृत्ति करने पर रू0 50/– प्रतिदिन से दण्डनीय होगा।

विजय सिंह कनवासी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत चौखुटिया।

जयवर्धन शर्मा,
प्रशासक/उपजिलाधिकारी,
द्वाराहाट, अल्मोडा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग (चमोली)

21 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक–353/न0पा0परि0/ग0नो0/2021–2022–नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग (चमोली) सीमान्तर्गत **उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च)** के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग (चमोली) द्वारा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 की उपधारा–1(ii)(iii) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये **"फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020"** बनायी जाती हैं, जो **नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1)** के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-कर्णप्रयाग (चमोली) को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) **ये उप-नियम नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग (चमोली) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2020 कहलाऐगा।**

(2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग (चमोली) के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप-नियम नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग (चमोली) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. **प्रसंगः फीकल**

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से संबन्धित है स्थानीय संस्थाओ द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंध मे है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/ फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके ।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 मे इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्णरूप स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्वच्छता सेवा ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमे गरीबो पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

स्थल शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र मे हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था, एक वास्तविक प्रत्येक परिवार के लिए गलियो मे नगर और शहरो मे बनी रह सके ।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकालः

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश संख्या 10/2005 दिनाक 10.12.2015 मे निम्न निर्देश निर्गत किये है, जो कि उत्तराखण्ड मे सेप्टेज प्रबंध से संबन्धित है। 'उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जाएगा और राज्य द्वारा तथा समस्त ऐजेंसी द्वारा सूचित किया जायेगा । यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो

अनुपालन मे और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिये **प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध** तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके-आदेश सं0 597/ 4(2)-यू0डी0-2017-50/16, दि0 22.05.2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा -निर्देश इस इस प्रोटोकोल के है कि राज्य शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके । इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग , जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. **नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः**

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा0 स0 597/ IV(2) श0 वि0-2017-50 (सा0)/16 दि0 22-05-2017 एवं श0वि0 समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग (चमोली) के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग (चमोली) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. **एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः**

4.1 **सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः**

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे।

- जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहनः

1. फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगें।

2. फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक पालिका कर्णप्रयाग (चमोली) की अपनी एक इकाई होगी। तथा सेप्टेज को क्षेत्रान्तर्गत स्थित उत्तराखन्ड जल संस्थान केएस0टी0पी0 मे परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतू एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतू भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेगे ।

5. सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा । फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स , रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा । इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यत्र , मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगे । जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित रहेगा ।

2 मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा । बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा , एवम टैंक को स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हाल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ.	प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब.	नवीनीकरण	:	रू0 1500.00 प्रति गाड़ी
स.	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	:	रू0 1000.00 प्रति गाड़ी
द.	अन्य संसोधन आवश्यकतानुसार	:	रू0 1000.00 प्रति गाड़ी (समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर पालिका बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अन्तर आ सकता है।

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग में फेकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से नगर पालिका परिषद द्वारा वसूल कर नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग मे जमा किया जायेगा।

ब. नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी नगर पालिका और अधिकृत फीकल एवं परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी जो यह अधिकार देगा कि वह इसकी लागत वसूली करें और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स उपभोक्ता लागत को मासिक सिचाई लागत या संपत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा।

सारणी - 2 उपभोक्ता लागत

क्र० सं०	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सैप्टिक टैंक एवं शौचालय गढढे हेतु निर्धारित हैं/	मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000.00	कम से कम 2-3 वर्ष में एकबार जब 2 टैंक होते है 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ।	50.00
2	अन्य समस्त मकान	3500.00		100.00
3	दुकान	2500.00		125.00
4	सरकारी/निजी कार्यालय	2000.00		250.00
5	बैंक	3500.00		312.00
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000.00		500.00
7	रेस्टोरन्ट	2000.00		500.00
8	होटल/गेस्ट हाउस (1-10 कमरें)	3500.00		250.00
9	होटल अतिथि गृह 11-12 कमरें	4000.000		250.00
10	होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000.00		500.00
11	धर्मशाला (1-25 कमरें)	3500.00		625.00
12	धर्मशाला 15 कमरें	5000.00		200.00
13	3 स्टार होटल	3500.00		400.00
14	5 स्टार होटल	5000.00		750.00
15	सरकारी स्कूल/ कालेज	2000.00		1000.00
16	निजी स्कूल/कालेज	2500.00		500.00
17	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000.00		625.00
18	4 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000.00		500.00
19	सिनेमा हाल	3500.00		625.00
20	होटल 0-20 कमरें	3500.00		1250.00
21	होटल 21 से 50 कमरें	4000.00		500.00
22	होटल 50 कमरे से अधिक	5000.00		550.00
23	विवाह हाल/बैंकट हाल	3500.00		1100.00
24	बार	3500.00		625.00
25	सरकारी हास्पिटल	3000.00		625.00
26	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000.00		500.00
27	पैथोलाजी लैब	3000.00		500.00
28	निजी अस्पताल 20 बैड तक	3500.00		500.00
29	निजी अस्पताल 20 से 50 बैड तक	4000.00		1250.00
30	निजी अस्पताल 50 बैड से अधिक	5000.00		1500.00

नोट :- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद द्वारा निर्गत किये जायेंगे

2- मल निस्तारण समयावधि में होगा, या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता हैं (जैसा कि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग द्वारा स्वीकृति है)

3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/ नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग (चमोली) मे जमा की जायेगी ।

8.3 नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा ।

9. दंडः

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगों की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी0पी0 एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

गुरूदीप लाल आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
कर्णप्रयाग (चमोली)।

दमयन्ती रतूड़ी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
कर्णप्रयाग (चमोली)।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सितारगंज (उधमसिंह नगर)

विज्ञप्ति

26 फरवरी, 2022 ई0

पत्रांक–818/प्रोटोकॉल फार सैप्टेज मैनेजमेन्ट दर उपविधि प्रकाशन/2021–22–सर्वसाधारण् को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनांक 10–12–2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पालिका परिषद सितारगंज (ऊ0सि0नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 25–06–2021 के प्रस्ताव सं0–01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम–2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियम करने हतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम- 2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भी तर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद सितारगंज में प्रस्तुत कर सकता है, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथव सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत हैः-

परिभाषाः-

1- **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः-** यह उपनियम नगर पालिका परिषद सितारगंज "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट " "उपनियम- 2021, नियमावली कहलायेगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पालिका परिषद सितारगंज की सीमा के भीतर लागू होंगे।

2- **नगर पालिका परिषदः-** नगर पालिका परिषद का आशय नगर पालिका परिषद सितारगंज के परिसीमन 2018 के उपरान्त 13 वार्डों की सीमा से हैं।

3- **अधिशासी अधिकारीः-** अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद सितारगंज के कार्य-पालक अधिकारी से है।

4- **अध्यक्षः-** अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद सितारगंज के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से है, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से है।

5- **सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेलः-** सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पालिका परिषद सितारगंज में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से है, जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी सितारगंज होंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सितारगंज सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी अभियन्ता पेयजल

निगम, अधिशासी अभियन्ता कुमायूँ जल संस्थान उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड मुख्य चिकित्साधिकारी सितारगंज, हल्द्वानी/नामित प्रतिनिधि/अधिकारी नगर पालिका परिषद सितारगंज नामित सदस्य होंगे।

1- प्रसंगः- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है तांकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक गड्ढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1-राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीतिः-

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत-सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहें एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सके जिसके साथ उन्नत स्थल स्वचछता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, तांकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रथम प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त गड्ढे में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सके।

1.2-उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकालः-

माननीय एन0जी0टी0 के आदेश सं0- 10/2005 दिनांक 10/12/2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं। जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धन के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राजय सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किय जाये। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है व निःशुल्क किसानों को वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पालिका परिषद सितारगंज की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचति किया गया है। ताकि इसका अनुपालन

शहरों/नगरों में हो सके। आदेश सं0 597/पअ(2)श0वि02017-50(सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, उपचार, सैप्टिज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के हैं कि राजय के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक **"सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल** ' ' का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद सितारगंज पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे। ' '

2- नगरीय उप कानून/ "फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरण:- सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0 सं0-597 पअ (2)- श0 वि0-2017-50 (सा0) /16 दिनांक 22/05/2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय-2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका परिषद सितारगंज नियमित ढाचा रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहा स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद सितारगंज के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3- उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्रः- इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत हैं-

1- निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रख रखाव जो कि स्लेज और सेप्टेंज से सम्बन्धित है।

2- गड्ढे के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फिकल स्लज एवं परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।

3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।

4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5- निजी और गैरसरकारी गड्ढे फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना।

4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज और सैप्टिज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना।

4-(1) सैप्टिक टैंक ओर सैप्टज/फीकल स्जल एकत्रीकरण को रिक्त करनाः-

- सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुच गया है या बार-बार के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये,

- जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग (जो नगर पालिका परिषद सितारगंज द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैंक का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय और सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

4-(2) सैप्टज/फिकल स्लज का परिवहनः-

1- फिकल स्लज और सैप्टज ट्रान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर सैप्टज मैनेजमेन्ट (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2- फिकल स्लज और सैप्टज फिकल निर्माता यह आश्वासन देंगे किः-

अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगी और फिकल स्लज और सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा। और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे।

आ- कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल स्लज और सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा।

4-(3) सैप्टज का निष्पादन और इलाज-राज्य सैप्टज मैनेजमेनट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पालिका परिषद सितारगंज की अपनी एक ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत पृथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा।

5- सुरक्षा उपायः-

1- उचित तकनीकी संयंत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहिये।

2- फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करें-

अ- समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन, लोयस, रबर बूट, चेहरे का मास्क, आंखों की सुरक्षा हेतु ग्लाय या गोगल जेसा कि मेनुअर स्कैबेजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।

आ- समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण गड्ढे से पहले अपना लिया जाये।

इ- समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए।

ई- प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते हैं, इससे पहले कि यह एकत्रीकरण गड्ढे में जाता है।

उ- सैप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा है। उस समय धुम्रपान पूर्णतः वर्जित है।

ऊ- मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगे जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ऋ- बच्चों को टैंक के ढक्कन अथव किट से दूर रखा जाये ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहें, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः-

6.1 नगर पालिका परिषद सितारगंज परिवहन वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजी व्सवसाइयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पालिका परिषद सितारगंज के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

6.2 नगर पालिका परिषद सितारगंज सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्ट द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा। जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमान्य है। जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रान्सपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नहीं है।

सारणी- 1 पंजीकरण व्यय

अ- प्रारम्भिक पंजीकरण -	रू0 2,000.00 प्रतिवाहन/गाडी
ब- वार्षिक नवीनीकरण-	रू0 1,500.00 प्रतिवाहन/गाडी
स- नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन-	रू0 1,000.00 प्रतिवाहन/गाडी
द- अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार-	रू0 1,500.00 प्रतिवाहन/गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा)

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचयः-

7.1 इस गड्ढे के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका में फीकल स्लज और सेप्टज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है। जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु हैं।

7.2 नगर पालिका परिषद सितारगंज अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय-समय इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 उपभोक्ता लागत गड्ढे विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत हैं-

अ- उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद सितारगंज द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका परिषद सितारगंज के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

ब- उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर से जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्मर्गत करना होगा,

सारणी- 2 उपभोक्ता लागत

नोटः- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक हैं, और उनका निर्ण और स्वीकृति नगर पालिका परिषद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

क्र0सं0	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे हेतु निर्धारित है।	मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।
1	टीनशैड वाला मकान	2500.00	कम से कम 2-3 वर्ष में एकबार जब 2 टैंक होते हैं 2/3 भाग जो भी पीले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार।	250.00
2	अन्य समस्त मकान	3000.00		300.00
3	दुकान	3000.00		300.00
4	सरकारी/निजी कार्यालय	3000.00		300.00
5	बैंक	3000.00		300.00
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	4000.00		400.00
7	रेस्टोरेन्ट	3000.00		300.00
8	होटल/गेस्ट हाउस (1-10 कमरे)	5000.00		500.00
9	धर्मशाला गेस्ट हाउस (11 कमरों से अधिक)	7000.00		700.00
10	धर्मशाला(1-25 कमरे)	4000.00		400.00
11	सरकारी स्कूल/कालेज	2500.00		250.00
12	निजी स्कूल/कालेज	3000.00		300.00
13	20 व्हीलर व्हीकल शोरूम	3000.00		300.00
14	विवाह हाल/ बैंकेट हाल	5000.00		500.00
15	बार	5000.00		500.00
16	सरकारी हास्पिटल	3000.00		300.00
17	नर्सिंग होम/ क्लीनिक	3000.00		300.00
18	पैथोलाजी लैब	2500.00		250.00
19	निजी अस्पताल 20 बैड तक	5000.00		500.00
20	चावल मिल/अन्य मिल	5000.00		500.00

1- मल निस्तारण समयावधि में होगा, या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पालिका परिषद सितारगंज द्वारा स्वीकृत है)

2- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8- मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:-

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0 (सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पालिका परिषद सितारगंज द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक महान के शौचालय, गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद कोष में जमा होगी।

8.3 नगर पालिका परिषद सितारगंज, गड्ढे टैंक के खाली होने के अभिलेख रखेंगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज।

9- दण्ड:-

दण्ड का ढाचा उपकरण रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायत फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टल ईलाज प्लान्ट का/ आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना।

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे बार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500.00	5000.00	तीन महिने के लिये परहमट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण।
2	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य गड्ढे में	1000.00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना।	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना।	1000.00	2000.00	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महिने के लिये परमिट को स्थगित करना /परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना।

शास्ति/दण्ड

नगर पालिका परिषद सितारगंज (उधमसिंहनगर) की सीमान्तर्गत "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट " के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0- 10/2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0 5,000.00(पाच हजार) का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे-खर्चे की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

विवाद होने की स्थिति में मा0 न्यायालय जिला- उधमसिंहनगर होगा।

प्रियंका आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सितारगंज,
(उधमसिंहनगर)।

हरीश दुबे,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद सितारगंज,
(उधमसिंहनगर)।

कार्यालय नगर पंचायत सुल्तानपुर (ऊधमसिंह नगर)

विज्ञप्ति

25 नवम्बर, 2021 ई0

पत्रांक–912/न0पं0/गजट/2020–21––सर्वसाधारण् को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनांक 10–12–2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ ;घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत सुल्तानपुर (ऊ0सिं0नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 24–05–2021 के प्रस्ताव सं0–08 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम–2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आश्य से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम– 2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग,को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत सुल्तानपुर में प्रस्तुत कर सकता हैं, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत है:–

परिभाषा :–

1– **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :–** यह उपनियम नगर पंचायत सुल्तानपुर"प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम– 2021, नियमावली कहलायेगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पंचायत सुल्तानपुर की सीमा के भीतर लागू होगें।

2– **नगर पंचायत** – नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत सुल्तानपुर के परिसीमन 2018 के उपरान्त 07 वार्डो की सीमा से हैं।

3– **अधिशासी अधिकारी**– अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत सुल्तानपुर के कार्य –पालक अधिकारी से हैं।

4– **अध्यक्ष**– अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत सुल्तानपुर के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं।

5– **सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल**– सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पंचायत सुल्तानपुर में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारीयों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी बाजपुर होंगें तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर सदस्य सचिव होगें और अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम, अधिशासी अभियन्ता कुमायूँ जल संस्थान तथा अधीक्षक, राज्य संयुक्त चिकित्सालय बाजपुर एवं अवर अभियन्ता, नगर पंचायत सुल्तानपुर नामित सदस्य होगें।

1–प्रसंग :– राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैकं और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टज/ फीकल स्लज सेप्टिक टैकं गढढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1—राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीति :—

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत—सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहै एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्वदेश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है,ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षैत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एकवास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल :—

माननीय एन0जी0टी0के आदेश सं0—10/2005 दिनॉक 10—12—2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है। जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैकं में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये ओर उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें ओर इस उद्वदेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पंचायत सुल्तानपुर की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो **सकें। आदेश सं0 597/(iv(2)—श0वि0—2017—50(सा0)/16 दिनॉक 22—05—2017** राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहै जो कि एकत्रीकरण,परिवहन,उपचार, सैप्टिज/फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है। कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी कियान्वयन के लिये ओर आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक **„सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल„** का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत सुल्तानपुर पेयजल निगम,जल संस्थान होगें।

2—नगरीय उपकानून/"फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरण :— सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं0—597/(iv (2)— श0 वि0—2017—50 (सा0)/16 दिनॉक 22—05—2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय—2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत सुल्तानपुर नियमित ढाचॉ रिक्त करने,एकत्र करने,परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहॉ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत सुल्तानपुर के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3—उद्वेश्य एवं कार्यक्षैत्र :— इस नियमावली के उद्वेश्य एव कार्य निम्नवत है:—

1— निर्माण सैप्टिक टैकं के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रखरखाब जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है।

2–क्षैत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैकं ओर शौचालय के गढढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।

3–उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।

4–लागत बसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5–निजि और गैरसरकारी क्षैत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।

4–एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनाना ।

4–(1)सैप्टिक टैकं ओर सैप्टज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना :–

.सैप्टिक टैकं की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार–2 के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये,

..जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिक टैकं में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैकंर का उपयोग(जो नगर पंचायत सुल्तानपुरद्वारा उपलब्ध कराया जाता है)_नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैकं का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।

...सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैकं के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें।

4(2)सैप्टज/फिकल स्लज का परिवहन :–

1– फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय–2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे।

(2)फिकल स्लज ओर सैप्टज फिकल निर्माता यह आश्वासन देगें कि :–

(अ) पंजीकृत सग्रंह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा। ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगें।

(ब)कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा।

4(3)सैप्टज का निष्पादन ओर इलाज–राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पंचायत सुल्तानपुर की अपनी एक ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।

5– सुरक्षा उपाय :–

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें ।

(2)फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करें–

(अ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लिषोकिन,लोयस,रबर बूट,चेहरे का मास्क, ऑखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजंर ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।

(ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षैत्र से पहले अपना लिया जायें।

(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थयवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये।

(द) प्रथम सहायता किट,गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है,इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षैत्र में जाता है।

(य) सैप्टिक टैकं पिट लैट्रिन में काम चल रहा है। उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है।

(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढढे में प्रवेश नही करेगें। ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगें जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

(ल) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्कू और ताले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6–सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन :–

6.1 नगर पंचायत सुल्तानपुर परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पंचायत सुल्तानपुर के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।

6.2 नगर पंचायत सुल्तानपुर सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा । जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है। जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रान्सपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है।

सारणी–1 पंजीकरण व्यय

अ–प्रारम्भिक पंजीकरण–	**रू0 2,000=00 प्रतिवाहन/गाडी**
ब–वार्षिक नवीनीकरण–	**रू0 1,500=00 प्रतिवाहन/गाडी**
स–नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन –	**रू0 1,000=00 प्रतिवाहन/गाडी**
द–अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार –	**रू0 1,500=00 प्रतिवाहन/गाडी**

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा)

7–उपभोक्ता लागत और इसका संचयः–

7.1 इस क्षैत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैकं और शौचालय के गढढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगरपालिका में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय–2 पर दर्शाया गया है। जो कि सेप्टिक टैकं के भरने शौचालय के गढढे,परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 नगर पंचायत सुल्तानपुर अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय–2 इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 उपभौक्ता लागत क्षैत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है।

(अ)– उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत सुल्तानपुर द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पंचायत सुल्तानपुर के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

(ब)– उपभोक्ता लागत को मासिक सिचॉई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यकम के अन्तर्गत होगा, करना होगा।

सारणी–2 उपभोक्ता लागत

क0सं0	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैकं एवं शौचालय गढढे हेतु निर्धारित है।	मासिक दण्ड 1–5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1–	टीनशैड वाला मकान	1000=00	कम से कम 2–3 वर्ष मे एकबार जब 2 टैंक होते हे 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ।	50=00
2–	अन्य समस्त मकान	2500=00		100=00
3–	छुकान	2500=00		125=00
4–	सरकारी/निजि कार्यालय	2000=00		250=00
5–	बैकं	3500=00		350=00
6–	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000=00		500=00
7–	रेस्टोरेन्ट	2000=00		500=00
8–	होटल/गेस्ट हाउस (1–10 कमरे)	3500=00		250=00
9–	धर्मशाला(1–25 कमरे)	3500=00		625=00
10–	सकारी स्कूल/कालेज	2000=00		1000=00
11–	निजि स्कूल/कालेज	2500=00		500=00
12–	20 व्हीलर व्हीकल शौरूम	2000=00		625=00
13–	विवाह हाल/बैकंट हाल	3500=00		1100=00
14–	वार	3500=00		625=00
15–	सरकारी हास्पिटल	3000=00		625=00
16–	नर्सिगं होम/क्लीनिक	3000=00		500=00
17–	पैथोलाजी लैब	3000=00		500=00
18–	निजी अस्पताल 20 बैड तक	3500=00		500=00
19–	चावल मिल/अन्य मिल	3500=00		1750=00

नोट–: उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत सुल्तानपुर द्वारा निर्गत किये जायेगें।

2–मल निस्तारण समयावधि में होगा, या जब टैकं 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पंचायत सुल्तानपुर द्वारा स्वीकृत है)

3–उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8–मैकेनिज्म का निरीक्षण,कियान्वयन और मजबूती देना :–

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0(सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पंचायत सुल्तानपुर द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैकं एवं हर एक मकान के शौचालय,गढढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पंचायत कोष में जमा होगी ।

8.3 नगर पंचायत सुल्तानपुर, क्षैत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–2 पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सैप्टिक टैकं, बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैकं का एकत्रीकरण,मशीनरी,परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज।

9–दण्ड:–

दण्ड का ढाचॉ उपकरण रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टज ईलाज प्लान्ट का/आर0एन0एल0 का रजिस्टैशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।

सारणी–3 दण्ड

क0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1–	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500=00	5000=00	तीन महिने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण।
2–	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षैत्र में	1000=00	6माह के लिये परमिट को स्थगित करना।	
3–	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।	1000=00	2000=00	आर0 टी0 ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगितकरना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना।

शास्ति/दण्ड

नगर पंचायत सुल्तानपुर (उधम सिहँ नगर) की सीमान्तर्गत "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनॉक 10–12–2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्व पाये जाने पर रू0 5,000=00(पॉच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्व होने की स्थिति में रू0 5,000=00 (पॉच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 100=00 (एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे–खर्चे की वसूली भू–राजस्व की भॉति वूसल की जायेगी। विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षैत्र जिला– ऊधम सिहँ नगर होगा ।

गणेश सिंह सुयाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सुल्तानपुर,
(ऊधम सिंह नगर)।

राजेन्द्र कुमार शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सुल्तानपुर,
(ऊधम सिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/463–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।